भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3979
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

विवादों का समाधान करने का तंत्र

+3979. श्री खगेन मुर्मु :

श्री अजय मिश्र टेनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मुकदमों के बढते बोझ को कम करने के लिए छोटे विवादों का स्वयं निपटान करने का कोई तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : सरकार, मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कटौती के साथ अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर बल के माध्यम से और विशेष प्रकृति के मामलों को त्वरित ट्रैक करने की पहल हेतु वचनबद्ध है । सरकार ने वाणिज्यिक मामलों के निष्पक्ष रूप से और त्वरित तथा वादकारियों को उचित लागत पर समाधान सुनिश्चित करने के अपने प्रयत्न में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया है। अधिनियम का 2018 में और संशोधन किया गया था । यह सम्यक् रूप से गठित वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा वाणिज्यिक विवादों की त्वरित ट्रैकिंग को सुकर बनाता है । वाणिज्यिक विवाद का विनिर्दिष्ट मूल्य 2018 के संशोधन के माध्यम से पूर्वतर 1.00 करोड़ रुपए से घटाकर 3.00 लाख रुपए कर दिया गया है। उन मामलों में जहां किसी अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा नहीं की गई है, वहाँ "संस्थित करने से पहले मध्यकता और समझौता" (पीआईएमएस) (एक अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र) अनिवार्य होने के उपबंध द्वारा न्यायालय से बाहर समझौते और न्यायालयों के कार्यभार को कम करने को सुकर बनाने हेतु संशोधित अधिनियम पुरस्थापित किया गया है।

सरकार ने माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 भी संशोधित किया है और तदर्थ माध्यस्थम के स्थान पर संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 भी अधिनियमित किया है । संस्थागत माध्यस्थम,समान मानकों को बढ़ावा देने, माध्यस्थम प्रक्रिया को

और अधिक पक्षकार अनुकूल बनाने, कम खर्चीली और माध्यस्थम संस्थाओं द्वारा माध्यस्थम के मामलों के समय से निपटान को सुनिश्चित करता है।

****